न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 06 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 16
नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह, जाति कुम्हार सिख निवासी वार्ड नं. 24 रायसिंहनगर
—अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार रायसिंहनगर —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 10.02.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि रायसिंहनगर नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये अवैध कालोनियां काटे जाने के मामले में प्रशासन संबंधित जमीनों के खातेदारों के नाम सार्वजनिक किये गये हैं। जिन जिन खातेदारों के नाम सार्वजनिक किये है उन सब की तीन प्रतियों में प्रमाणित प्रति दी जावे परन्तु नहीं दी गयी, धारा 177 के तहत संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी किये गये उन सबकी तीन प्रतियों में प्रमाणित प्रति दी जावे। परन्तु किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। अवैद्य कालोनियां बिना रूपान्तरण किये निर्माण कार्य चालू हैं।

प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक / राजस्व / 2023 / 901 दिनांक 16.05.2023 के अनुसार "आवेदक श्री नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह चक 23 पीएसए रायसिंहनगर मोबाईल नम्बर 8875089377 आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2023 प्राप्ति दिनांक 14.02.2023 द्वारा चाही गई सूचनाएं उपखण्ड न्यायालय से संबंधित होने के कारण आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उपखण्ड कार्यालय रायसिंहनगर में हस्तांतरित कर प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक / राजस्व / 2023 / 647 दिनांक 10.03.2023 द्वारा सूचित कर दिया गया हैं।"

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी / आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) का आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2023 तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रस्तुत कर सूचनाएं उपलब्ध करवाए जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक / राजस्व / 2023 / 646 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा आरटीआई आवेदन को उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित कर आवेदक / अपीलार्थी नक्षत्र सिंह को पत्र क्रमांक 647 दिनांक 10.03.2023 द्वारा सूचित किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को हस्तांतरित कर आवेदक को सूचित कर दिया था। इसलिए तहसीलदार रायसिंहनगर के विरूद्ध अपील का कोई आधार नहीं हैं, अपील सारहीन होन के कारण खारिज की जानी उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:41 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़